भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 655**

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**गुजरात की तटीय सुरक्षा**

**655 श्री अहमद पटेलः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की तटीय सुरक्षा खतरे में है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) गुजरात के आतंकवाद-रोधी दस्ते, तटीय जांच चौकियों, तटीय सीमा चौकियों और तटीय पुलिस स्टेशनों में पूर्ण तथा प्रतिशत दोनों के रूप में कितने पद रिक्त है;
(घ) क्या सरकार ने गुजरात की तटीय रेखा पर स्टेशनों या चौकियों की स्थापना के लिए आवंटित धनराशि को खर्च करने के कोई अनियमितता पाई है; और
(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

**(क) और (ख): गुजरात का तट अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के नजदीक होने की वजह से विभिन्न सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील रहा है। सुरक्षा संबधी खतरों में तट के सुनसान स्थलों पर हथियारों और विस्फोटकों की उतराई, आतंकवादी तत्वों की घुसपैठ, उपभोक्ता और मध्यवर्ती वस्तुओं की समुद्री मार्गों से तस्करी इत्यादि शामिल हैं। तट पर वास्तविक अवरोध तथा तट के निकट महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा रक्षा स्थापनाओं की मौजूद न होने से अवैध सीमा पार गतिविधियों के प्रति तट की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।**

**तट रेखा की सुरक्षा को सुद्दढ़ बनाने के लिए, देश के संपूर्ण तटीय सुरक्षा परिद्दश्य को भारत सरकार द्वारा बहु-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समीक्षा के अध्यधीन रखा गया है और इस संबंध में अनेक महत्वपर्ण निर्णय/पहलें शुरु की गई हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:-**

**(i)** **भारतीय नौ सेना, भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) और तटीय राज्यों और संघ शासित राज्यों की समुद्री पुलिस द्वारा देश की समुद्री सुरक्षा की रक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की स्थापना।**

**(ii)** **गुजरात राज्य सरकार को तटीय सुरक्षा योजना चरण-। के अंतर्गत 10 तटीय पुलिस स्टेशनें, 25 जांच चौकियां, 46 सीमा चौकियां, 30 नौकाएं (12 टन की 20 नौकाएं और 5 टन की 10 नौकाएं), 20 जीपें, 101 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं।**

--2/-

(iii) तटीय सुरक्षा के चरण-II के अंतर्गत, गुजरात राज्य सरकार को 12 तटीय पुलिस स्टेशनें, 5 जेट्टियां, 12 चार पहियां वाहन, 24 दोपहिया वाहन और निगरानी उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणालियों और फर्नीचर की खरीद के लिए 15 लाख प्रति सीपीएस की एकमुश्त धनराशि मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को 12 टन की 21 नौकाएं और 5 टन की 10 नौकाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

(iv) भारतीय तट रक्षक द्वारा अन्य स्टेकहोल्डरों के समन्वय से तटीय सुरक्षा में शामिल केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। भारतीय तट रक्षक द्वारा अब तक 13 तटीय सुरक्षा अभ्यास किए जा चुके है।

(v) समुद्र से उत्पन्न खतरों के प्रति सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए भारतीय तट रक्षक जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा (आईएमबीएल) के समीप वाले क्षेत्रों में चौबीसों घंटे प्रतिदिन तैनात रहते हैं।

(vi) भारतीय तट रक्षक हवाईजहाज द्वारा दिन और रात्रि के दौरान नियमित हवाई निगरानी की जा रही है। इंटरसेप्टर नौकाओं और एयर कुशन वाहनों द्वारा गुजरात तट के निकट गहन तटीय गश्त की जा रही है।

(vii) तटीय निगरानी नेटवर्क (सीएसएन) के भाग के रूप में, तटीय क्षेत्रों की निगरानी एवं अन्वीक्षण के लिए राज्य के द्वारका, नवदारा, पोरबंदर, मंगरुल, दीव हेड, गोपीनाथ और हजीरा प्वाइंट में रेडार युक्त 07 भारतीय तट रक्षक, स्टेशन, दिन और रात्रि कैमरे और स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) सेंसर लगाए गए हैं।

(viii) सीमा सुरक्षा बल ने मेदी से जकाऊ तक 18 तटीय सीमा चौकियों में कार्मिकों की तैनाती करके तटीय सुरक्षा हेतु 01 समुद्री बटालियन तैनात की है।

(ix) गुजरात में बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी)/सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना के आदान-प्रदान के दायरे को सुदृढ़ बनाया गया है और इसे गुजरात में सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच फैलाया गया है।

(x) मछली पकड़ने वाले जलयानों सहित समुद्र में जाने वाले सभी जलयानों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है।

(xi) कच्छ की खाड़ी और खम्बात की खाड़ी के लिए जलयान यातायात और पत्तन प्रबंधन प्रणाली (वीटीपीएमएस) को संचालित कर दिया गया है।

(xii) तटीय आबादी को 7,81,742 बायोमीट्रिक कार्ड और मछुआरों को 1,33,173 कार्ड तथा प्रयोक्ता एजेंसियों को कार्ड रीडर जारी करना।

(xiii) सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानचित्रों पर समुद्री पुलिस स्टेशनों, मत्स्य उतरायी केन्द्रों, गैर-मत्स्य उतरायी केन्द्रों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, कस्टम नाका, बम डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थिति, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरों का मानचित्रण।

(xiv) मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कलर-कोडिंग।

(ग): राज्य सरकार द्वारा गुजरात राज्य में तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत तटीय पुलिस स्टेशनों, तटीय जांच चौकियों, तटीय सीमा चौकियों और गुजरात आतंकवाद-रोधी दस्ता के लिए कार्मिक शक्ति उपलब्ध करायी जाती है जिसकी विषय-वस्तु गुजरात राज्य के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

(घ) और (ड.): जी ,नहीं।

*****